राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ.5(1) आ.प्र.एवं सहा./गौशाला/2014 9283 जयपुर, दिनांकः 15.7.15

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर,
भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू,
दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली,
कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः– अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित जिलों में गौशाला एवं पशुशिविर के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा अभाव सम्वत् 2071 रबी में गौशाला एवं पशु शिविर के लिए जारी दिशा–निर्देश परिपत्र कमशः कमांकः एफ.5 (1) आ.प्र.एवं सहा./गौशाला/2014/4810–48 दिनांक 16.4.2015 एवं एफ. 5(2) आ.प्र.एवं सहा. पशुशिविर/2014/4771–809 दिनांक 16.4.2015 में नये एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार बड़े व छोटे पशुओं की दर 70 व 35 रूपये अंकित की गई थी। जबकि आपके जिले के लिए जारी स्वीकृतियों में बड़े व छोटे पशुओं की दर 50 व 25 रूपये प्रति दिन प्रति पशु अंकित की गई है।

नये एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स दिनांक 01.4.2015 से प्रभावी हैं, चूंकि राज्य में ओलावृष्टि की घटनाऐं माह फरवरी, मार्च, 2015 में हुई है, इस कारण नये नॉर्म्स में अंकित दर लागू नहीं होगी। अतः राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 01.7.2015 में लिए गए निर्णय की पालना में गत एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स में अंकित बड़े पशु 50 प्रति दिन प्रति पशु एवं छोटे पशु हेतु 25 प्रति दिन प्रति पशु की दर से ही अनुदान स्वीकृत किया जावे। इसकी पालना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,
14/7/15
शासन सचिव